Research Assistant (Work Study)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन), भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन), गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	02* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-2, 9300—34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड पे के साथ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :**— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पे बैण्ड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड पे 2800 रु. या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर छः वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने पे बैण्ड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड पे 2400 रु. या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हों :— (i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है, और (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी मान्यताप्राप्त अन्य संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है अथवा जिनके पास कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है ।

(12)
[प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986, namely :—

(1) These rules may be called the Research Assistant (Work Study), Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2010

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study), Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Assistant (Work Study)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200	Not Applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Deputation	**Deputation :—** Officers under Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent; or (iii) With ten years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :— (i) Possessing Degree of a recognized University or equivalent; and (ii) completed successfully the Basic Management Services Course of Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training from any other recognized institution or have at least one year experience in the application Work Study/ Organization and methods/Analytical/Statistical/Operations Research or other management research techinques. [The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/ transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary .

[F. No. A/12018/01/2010-Ad. V]
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

MGIPRRND—1305 HA/2011—100 Copies